न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 22.07.2019

अपील संख्या 2019/00145

उनवान

1. वन विभाग बारां, जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. जय सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह
2. अभय सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह
3. भरत सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह
4. राज श्री पुत्री विजेन्द्र सिंह
5. जय श्री पुत्री विजेन्द्र सिंह
6. मनहर कंवर बेवा विजेन्द्र सिंह
7. राकेश सिंह पुत्र भैरू सिंह उर्फ देवराज सिंह
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र भैरू सिंह उर्फ देवराज सिंह
9. भानू प्रताप सिंह पुत्र भैरू सिंह उर्फ देवराज सिंह
10. वीरेन्द्र सिंह पुत्र भैरू सिंह उर्फ देवराज सिंह
11. श्रृंगार कंवर बेवा भैरू सिंह उर्फ देवराज सिंह
    जाति राजपूत, निवासीगण रेनगढ़, तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 17.10.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 150/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि साबिक खाता नं. 19 व 28 हाल खाता सं. 22 सम्वत 2026 से 2029 ग्राम रेनगढ़, तहसील मांगरोल, जिला बारां में कुल किता 9 रकबा 132 बीघा 2 बिस्वा आराजी खातेदार श्री लाडी चन्द्रावती जौजे कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी रेनगढ़ के खाते दर्ज हो रही है। 9 किता में से खसरा नं. 21 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 24 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 25 रकबा 19 बिस्वा आराजी ही विवादित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2019 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर वन विभाग की भूमि पर खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना विधि के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उस वाद में भूमि खाता संख्या 120 खसरा नं. 52/376 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 60 रकबा 0.67 हेक्टर व खसरा नं. 61 रकबा 1.70 हेक्टर कुल 3 किता की 2.54 हेक्टर भूमि अपीलांट वन विभाग नामान्तरकरण सं. 79 खाते दर्ज है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वन विभाग के खाते पर भूमि केन्द्रीय गजट नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक केन्द्रीय नोटिफिकेशन से उक्त भूमि रिलीज नहीं हो जाती।

रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 27.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त दिनांक की आदेशिका पर स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड नोटिस से तामील कराने का आदेश नहीं है और दिनांक 27.12.2018 के पश्चात दिनांक 22.01.2019 नियत की गई उसको काटकर दिनांक 14.01.2019 नियत की और दिनांक 14.01.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 15.01.2019 साक्ष्य वादी में पेशी नियत की गई। दिनांक 15.01.2019 को साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू. 1 वीरेन्द्र सिंह, पी. डब्ल्यू. 2 किशन गोपाल, पी. डब्ल्यू. 3 राजेश्वर के बयान लिये और दिनांक 16.01.2019 को वाद डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार उक्त माननीय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.12.2018 से 16.01.2019 तक देखने से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त वाद कोल्यूजन एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सरकार के हितों के विपरीत जाकर राज्य सरकार व वन विभाग की भूमि को सम्पत्ति की हानि कारित की गई है, जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर डिक्री जैर अपील दिनांक 16.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.06.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर वन विभाग की भूमि पर खातेदार घोषित करने में त्रुटिकी है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना विधिक के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादीद्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उस वाद में भूमि खाता संख्या 120 खसरा नं. 52/376 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.67 हेक्टर व खसरा नम्बर 61 रकबा 1.70 हेक्टर कुल 3 किता की 2.54 हेक्टर भूमि अपीलांट वन विभाग नामान्तरकरण सं. 79 खाते दर्ज है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वन विभाग के खाते पर भूमि केन्द्रीय गजट नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक केन्द्रीय नोटिफिकेशन से उक्त भूमि रिलीज नहीं हो जाती।

रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 27.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त दिनांक की आदेशिका पर स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड नोटिस से तामील कराने का आदेश नहीं है और दिनांक 27.12.2018 के पश्चात दिनांक 22.01.2019 नियत की गई उसको काटकर दिनांक 14.01.2019 नियत की और दिनांक 14.01.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 15.01.2019 साक्ष्य वादी में पेशी नियत की गई। दिनांक 15.01.2019 को साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू. 1 वीरेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 किशन गोपाल, पी.डब्ल्यू. 3 राजेश्वर के बयान लिये और दिनांक 16.01.2019 को वाद डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार उक्त माननीय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.12.2018 से 16.01.2019 तक देखने से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त वाद कोल्यूजन एवं राजस्व कर्मचारियों सेमिलकर सरकार के हितों के विपरीत जाकर राज्य सरकार व वन विभाग की भूमि को सम्पत्ति की हानि कारित की गई है जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर डिक्री जैर अपील दिनांक 16.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि खाता सं. 19 व 58 हाल 22 प्रदर्श 2 रेस्पोडेंट क्रम 6 व 11 की सास तथा शेष रेस्पोडेंट की दादी लाड़ी चन्द्रावती पत्नी कल्याण सिंह के खाते कुल 132 बीघा 2 बिस्वा आराजी वाके ग्राम रेनगढ़ में दर्ज की थी, इसी खाते में विवादित खसरा नं. 21 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 24 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 25 रकबा 19 बिस्वा आराजी दर्ज है। प्रदर्श 2 खाते में दर्ज आराजी खातेदार लाड़ी चन्द्रावती के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही दिनांक 16.05.1972 से जैरकार थी और विभिन्न सक्षम न्यायालयों में से होकर अपील में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अजमेर में सुनवायी के लिये गई और राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 7.01.2003 से अधिग्रहण आराजी लाड़ी चन्द्रावती की सीलिंग कार्यवाही से मुक्त कर दी।

दौराने सीलिंग कार्यवाही दिनांक 02.05.1976 से खातेदार लाड़ी चन्द्रावती के खाते की आराजी खसरा नं. 21, 24, 25 का रकबा प्रदर्श 3 इंतकाल नं. 125 से अधिग्रहण किया गया, इसके बाद अंतिम फैसला दिनांक 07.01.2023 को हुआ, जब आराजी बाबत् मुकद्मा चल रहा है एक सक्षम न्यायालय में सुनवायी हो रही है। अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही विवादित आराजी जिसके हाल खसरा नं. 60 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 61 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नं. 52/376 रकबा 0.17 हेक्टर वाके ग्राम रेनगढ़ को वन विभाग के खाते इंतकाल नं. 1 दिनांक 05.02.1991 से खाते दर्ज कर दी गई जबकि मुकदमा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां में विचाराधीन था, ऐसी स्थिति में खातेदार की आराजी किस प्रकार अपीलांट (वन विभाग) खाते दर्ज की जा सकती है और त्रुटिवश कर भी दी गई जो गलत है। खातेदार के पक्ष में निर्णय हो जाने से आराजी खातेदार को ही दर्ज होगी, इसमें अधीनस्थ न्यायालय ने गलत क्या किया।

प्रदर्श 11 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 60, 61 व 52/376 के साबिक खसरा नम्बर 21, 24 और 25 थे, साबिक खसरा नम्बर 21, 24 और 25 का रकबा प्रदर्श 2 खाता लाड़ी चन्द्रावती की आराजी में दर्ज है, अर्थात् इंतकाल नं. 1 दिनांक 05.02.1991 प्रदर्श 4 से नये खसरा नम्बर 60 रकबा 0.67 हेक्टर खसरा नम्बर 61 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 52/376 रकबा 0.17 हेक्टर अपीलांट के खाते दर्ज कर दिये गये, इससे यह स्पष्ट है कि वन विभाग को दर्ज की गई आराजी सिवाय चक आराजी नहीं थी, यह आराजी खातेदार की थी, जिसके बाबत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और दौराने वाद आराजी सिवाय चक राज. सरकार के खाते दर्ज थी।

प्रदर्श 5 ता 9 में खसरा नं. 60, 61, 52/376 वन विभाग के खाते दर्ज हो रहे हैं, जो कि गलत दर्ज किये गये, क्योंकि खातेदार की आराजी दौराने वाद सिवाय चक होने से अपीलांट के खाते दर्ज की गई, जबकि मुकदमा विचाराधीन था और निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रदर्श 25 से वन विभाग के खाते में दर्ज आराजी वापस खातेदार को दी जाने बाबत निर्णय हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरीके से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की ही पालना की है, जिसमें कुछ भी त्रुटिपूर्ण नहीं है।

इंतकाल नं. 65 दिनांक 29.09.2003 प्रदर्श 25 से सीलिंग में अधिग्रहण की गई आराजी लाड़ी चन्द्रावती खातेदार की सीलिंग अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का आदेश का इस प्रकरण खातेदार की प्रदर्श 25 के अनुसार 14.68 हेक्टर आराजी तो मुक्त करके खाते दर्ज कर दी, लेकिन इंतकाल नं. 65 दिनांक 29.09.2003 प्रदर्श 25 के दर्ज समय विवादित आराजी खसरा नं. 60 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 61 रकबा 1.70 हेक्टर, और खसरा नं. 52/376 रकबा 0.17 हेक्टर कुल 2.54 हेक्टर आराजी अपीलांट (वन विभाग) के खाते दर्ज होने से तहसीलदार मांगरोल (अपीलांट क्रम 2) ने अधिग्रहण से मुक्त नहीं की और रेस्पोडेंट से कहा कि आपको नियमित वाद सक्षम न्यायालय में करना पड़ेगा, इसलिए रेस्पोडेंट को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा रेस्पोडेंट अपने खाते की आराजी ही पुनः अपने खाते दर्ज करवा रहे हैं, वन विभाग की नहीं, लेकिन अपीलांट इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वर्तमान खाते दर्ज आराजी प्रदर्श 1 में कुल 14.68 हेक्टर व वन विभाग के खाते दर्ज आराजी 2.54 हेक्टर दोनों मिलाकर कुल 105 बीघा आराजी 16.82 हेक्टर बनती है, फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2003 में रेस्पोडेंट की दादी लाड़ी चन्द्रावती को 110 बीघा भूमि रखने का अधिकारी माना है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 60, खसरा नम्बर 61 व खसरा नम्बर 52/376 रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज है।

उपरोक्त लिखित बहस के अवलोकन व राजस्व रेकार्ड के मध्यनजर अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन कियाएवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2019 सी.पी.सी. के प्रावधान एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवायी एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्वतः स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 27.12.2018 से दिनांक 16.01.2019 के मध्य लिखी गई आदेशिका के अवलोकन से अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील में अंकित इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दिनांक 27.12.2018 को वाद प्रस्तुत किया गया इस आदेशिका पर स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड नोटिस से तामील कराने का आदेश नहीं है और दिनांक 27.12.2018 के पश्चात दिनांक 22.01.2019 नियत की गई उसको काटकर दिनांक 14.01.2019 नियत की गई और दिनांक 14.01.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 15.01.2019 को साक्ष्य वादी में पेशी नियत की गई। दिनांक 15.01.2019 को साक्ष्य वादी दर्ज कर दिनांक 16.01.2019 को वाद डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2018 को वाद रजिस्टर कर सुनवायी हेतु दिनांक 22.01.2019 नियत करने के पश्चात उसे काट कर दिनांक 14.01.2019 किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता। सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 1 (1) के अनुसार वाद रजिस्टर होने के तीस दिन के भीतर प्रतिवादी को उपस्थित होने व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाना था परन्तु प्रतिवादी नियत तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तब भी न्यायालय उसे लिखित कथन फाइल करने के लिए किसी और दिन जो

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सम्मन तामील होने के 90 दिन से अधिक न हो, अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवादी/अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करते हुए जवाब प्राप्त करने के उपरान्त तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने के पश्चात तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर प्रथम तारीख पेशी दिनांक 14.01.2019 को ही प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2019 सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट से जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन के पश्चात पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा